परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/99/5/2022 **12 मई 2022**

प्रति,
साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और एफआरबी (लायड्स सहित) के सीईओ

विषयः अनुपालन की अपेक्षाओं का यौक्तिकीकरण

संदर्भः-

(i) आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/ सीआईआर/ विविध/ 256/09/2021 दिनांक 30.09.2021 के अनुसार बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरणों के अंतर्गत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखओं के लिए निर्धारित अनुपालन की अपेक्षाएँ तथा

(ii) आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ. सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/जीडीएल/सीपीएम/045/ 02/2020 दिनांक 07.02.2020 के अनुसार जारी किये गये भारत में बीमाकर्ताओं के लिए प्रबंधकत्व कूट (स्ट्युअर्डशिप कोड) संबंधी संशोधित दिशानिर्देश।

प्राधिकरण को विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) की अनुपालन अपेक्षाओं के यौक्तिकीकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि वे खुदरा ग्राहकों के साथ कोई लेन-देन नहीं कर रही हैं। इसके अलावा, गैर-जीवन उद्योग से भी उनकी संबंधित वेबसाइटों पर जोखिम-अंकन कार्यनिष्पादन के प्रकटीकरण के संबंध में फार्म एनएल 40 समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं। तदनुसार, सार्वजनिक प्रकटीकरणों के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाओं की समीक्षा की गई है तथा निम्नानुसार आशोधन किये गये हैं :

2. एफआरबी और लायड्स इंडिया द्वारा समाचारपत्र में प्रकाशनः

एफआरबी और लायड्स इंडिया प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा समर्थन उपलब्ध कराते हैं तथा बीमाकर्ता उनके साथ पुनर्बीमा संविदाएँ करने के समय एफआरबी के संबंध में समुचित सावधानी बरतते हैं। वित्तीय आंकड़ों से संबंधित आवश्यक सूचना एफआरबी की संबंधित वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटीकरणों के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाती है। पुनर्बीमा व्यवसाय बी2बी खंड है तथा पालिसीधारक पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ लेन-देन नहीं करते हैं।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबीएस) और लायड्स इंडिया के लिए समाचारपत्रों में शीर्षांकित परिपत्र में अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किये गये रूप में छमाही और वार्षिक राजस्व लेखा, लाभ-हानि लेखा, तुलन-पत्र और विश्लेषणात्मक अनुपात आदि प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, वे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसरण में स्वैच्छिक आधार पर प्रचार के प्रयोजन के लिए विभिन्न विवरणियों का एक वास्तविक और सही सारांश प्रकाशित करना जारी रख सकते हैं।

3. एफआरबी और लायड्स इंडिया द्वारा प्रबंधकत्व (स्ट्युअर्डशिप) विवरणियाँ और सार्वजनिक प्रकटीकरणः

पारंपरिक तौर पर एफआरबी और लायड्स इंडिया ईक्विटी लिखतों में निवेश नहीं करते तथा वे मुख्य रूप से जी सेक और कर्ज बाजारों में निवेश करते हैं। विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया के निवेश एक्सपोज़रों के आधार पर निम्नलिखित छूटें प्रदान की जाती हैं-

i. उन संस्थाओं को जिनकी निवेश नीति ईक्विटी में निवेश की अनुमति नहीं देती, सामान्य प्रबंधकत्व (स्ट्युअर्डशिप) कूट, प्रकटीकरण अपेक्षाओं और विवरणियों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की जाती है। तदनुसार, सार्वजनिक प्रकटीकरण को `लागू नहीं' के रूप में दर्शया जा सकता है।

ii. उन संस्थाओं के लिए, जिनकी निवेश नीति ईक्विटी निवेश की अनुमति देती है, परंतु जिन्होंने ईक्विटी में कोई निवेश नहीं किया है, उक्त कूट लागू होता है। तथापि, इसके लिए एक शून्य (निल) विवरण पर्याप्त अनुपालन होगा।

iii. अन्य संस्थाओं को निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए।

4. <u>साधारण बीमाकर्ताओं, एफआरबीएस और लायड्स इंडिया के द्वारा जोखिम-अंकन के कार्य-निष्पादन के संबंध में फार्म-40 का सार्वजनिक प्रकटीकरण</u>

प्राधिकरण को सार्वजनिक प्रकटीकरणों के अंतर्गत बीमाकर्ताओं की संबंधित वेबसाइट पर एनएल-40 – खंडीय जोखिम-अंकन कार्यनिष्पादन के अपलोडिंग के संबंध में चिंता से युक्त सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, **यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक प्रकटीकरणों के अंतर्गत निर्धारित रूप में एनएल-40 का अपलोडिंग समाप्त किया जाए।** तथापि, उपर्युक्त बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त फार्मेट प्राधिकरण के पास finance-nonlife@irdai.gov.in पर ई-मेल द्वारा फाइल करें।

5. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ई) के अधीन जारी किया जाता है।

हस्ता./-
ममता सूरी
कार्यकारी निदेशक